

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020 — माघ 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक 754/डी. 4/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-01-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के
भाग-दो (पुनरीक्षित)
का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित),-

- (1) सरल क्रमांक 3 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द "बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़" के स्थान पर, शब्द "बिलासपुर एवं कोरबा" प्रतिस्थापित किया जाये.
- (2) सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा, राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र."

परिनियम, अध्यादेश
तथा विनियम का
क्रियान्वयन.

3. समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम, जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने के पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रवृत्त हो, वे शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के परिनियम, अध्यादेश विनियम माने जायेंगे.

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक 754/डी. 4/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिनियम दिनांक 22-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2020)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|-----|-----|----|---|---------|--|--|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. | Short title, extent and commencement. | | | | | | | | |
| | (2) | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | | | | | | | | | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | | | | | | | | | |
| 2. | | In Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act),- | Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule. | | | | | | | | |
| | (1) | in entries of column (4) of serial number 3 of for the words “Bilaspur Korba, Janjgir-Champa and Raigarh”, the words “Bilaspur and Korba” shall be substituted. | | | | | | | | | |
| | (2) | after serial number 4, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :- | | | | | | | | | |
| | | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">(1)</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">(2)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(3)</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">(4)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">“5</td> <td style="text-align: center;">Shaheed Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh</td> <td style="text-align: center;">Raigarh</td> <td style="text-align: center;">Areas comprised within the limits of the Revenue Districts of Raigarh and Janjgir-Champa.”</td> </tr> </table> | (1) | (2) | (3) | (4) | “5 | Shaheed Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh | Raigarh | Areas comprised within the limits of the Revenue Districts of Raigarh and Janjgir-Champa.” | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | | | | |
| “5 | Shaheed Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh | Raigarh | Areas comprised within the limits of the Revenue Districts of Raigarh and Janjgir-Champa.” | | | | | | | | |
| 3. | | All the Statutes, Ordinances, Regulations in force before the commencement of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 in Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur shall be deemed as Statutes, Ordinances, Regulations of Shaheed Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh. | Implementation of Statutes, Ordinances and Regulations. | | | | | | | | |